

18.11.21

पत्रावली पेश प्रार्थी/निगरानीकर्ता द्वारा उपस्थित निगरानीकर्ता द्वारा जरिये इन्विकट प्रार्थना पत्र पेश कर विवेदन किया कि प्रकरण में लोक अदालत की भावना से प्रेरित लोक रजिनामा ले गया है प्रार्थी इक्त निगरानी में आगामी कोर्ट कार्यवाही नहीं करना चाहता; इतलिये प्रार्थी उक्त निगरानी इसी स्तर पर विद्रा करना चाहता है।

न्यायद्वारा में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रकरण इसी स्तर पर विद्रा से खारिज किया जाता है। पत्रावली फलत शुभम लोक दारिदर-दफ्तार है।

आदेश रकले न्यायालय में सुनाया गया।



2021
 उममेदी लाल मीन
 अपर जिला न्यायालय
 हुनुमानगढ़

